उत्तरं मध्य रेलवे

कार्मिक विभाग कार्यालय मंडल रेल प्रबंधक उ.स.रे./प्रयागराज

पत्र सं:- 961-ई/24 / सीक्रेट बैलेट इलेक्शन/ई यूनियन

दिनांक 1411.2024

सर्व सम्बंधित उ.म.रे.प्रयागराज मंडल

> विषयः प्रयागराज मंडल में SBE-2024 के लिए निर्वाचन में भाग ले रही यूनियन के मतदान अभिकर्ता (पोलिंग एजेंट) के नियुक्ति का प्रारूप ।

प्रयागराज मंडल में SBE-2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए मंडल में 37 पोलिंग व्यावनाये गए है | FINAL MODALITIES के मद सं 16.18 के अनुसार निर्वाचन लड़ रही प्रत्येक ट्रेड यूनियन प्रत्येक व्यावक लिए अधिकतम 02 मतदान अभिकर्ता (पोलिंग एजेंट) नियुक्त/ नामित कर सकते है, परन्तु एक समाय में एक ही मतदान अभिकर्ता (पोलिंग एजेंट) मतदान स्थल पर मौजूद रह सकता है | निर्वाचन में भाग ले रही ट्रेड यूनियन प्रारूप-3 में अपने मतदान अभिकर्ता (पोलिंग एजेंट) का नामांकन करेगी | यदि किसी कारण से पूर्व में किये गए नामांकन रद्द करना है तो ट्रेड यूनियन प्रारूप-4 का उपयोग करेंगे |

मतदान अभिकर्ता(पोलिंग एजेंट) का नामांकन यदि प्रारूप-3 में ट्रेड यूनियन के द्वारा न करके यदि किसी अन्य प्रारूप या माध्यम से किया जायेगा तो वह नामांकन स्वीकार नहीं किया जायेगा | प्रारूप-3 तथा प्रारूप-4 संलग्न है |

मंडल कार्मिक अधिकारी-॥

(नोडल अधिकारी) SBE-2024

उ.म.रे./प्रयागराज

h

agents from their seats.

16.17.11 No Voter, Polling agent, Polling Assistant or Polling Helpers etc shall be allowed to use Smartphone/mobile phone/Camera inside the booth. Only Polling Officer shall be authorised to use Smart phone/mobile phone and that too for urgent requirements relating to conduct of poll only.

16.17.12 All the eligible voters must leave out their Mobile phones/ Smart phones/Camera before entering the polling booth as these devices are not permitted inside the Polling Booth. Notice to this effect shall be displayed prominently outside the booths and also prominently in the final Voters' list.

16.18 Polling Agents: Each contesting TU will nominate two Polling Agents (out of whom one only can be present in Polling Booth at a time) for each Polling Booth. The Polling Agents must be regular Railway Servants of the Zonal Railway/PU concerned. These Polling Agents must carry their identification proof to establish their bonafide.

16.19 These Agents shall be shown empty ballot boxes before commencement of polls and boxes shall be locked and sealed in their presence. The Polling Officer shall obtain the signature of Polling Agents as a token of their having witnessed locking and sealing of ballot boxes. The Polling Agents may remain present throughout the polling. However, their absence/delayed arrival shall not hold up the election/voting processes.

16.20 To rule out situations of 'Counting Agents' of any TU not able to recognize the signature of Polling Agents on the sealed ballot box, TUs must provide sample signatures of their Polling Agents for all booths to the Presiding officer.

16.21 Two Polling Agents of each contesting TU, per booth per day of polling, shall be entitled for "Special Casual Leave".

16.22 Polling Parties and their responsibilities: The vote casting process shall be supervised by Polling Officers assisted by Polling Assistants/ Polling Helpers. Railway Servants working as Personnel Inspectors/Staff & Welfare Inspectors and other Inspectorial/Ministerial staff etc shall be deployed as Polling Assistants. In these matters, Presiding Officers will have complete

Arcon 11974

SBE - III - 2024 प्रयागराज मण्डल मतदान अभिकर्ता (पोलिंग एजेंट) की नियुक्ति

-X	
सेवा में,	TOTAL
पीठासीन अधिकारी / स. पीठासीन अधिकारी / प्रयागराज मण्ड	आभकता का
मैं, SBE - III - 2024 को संप	
(ट्रेड यूनियन का नाम)	का निर्वाचन अभिकर्ता हूं।
मैं, ब्थ सं जो	के नाम से अधिस्चित है,
के चुनाव प्रक्रिया में हाजिर रहने के	लिए एतद्द्वारा श्री / सुश्री
पदनाम	अधीन
जिसका फोटो उपरोक्त प्रमाणित	किया गया है, को मतदान अभिकर्ता (
पोलिंग एजेंट) के रूप में नियुक्त करता हूं।	
दिनांक:	
	100
स्थानः ट्रेड यूनि	यन के निर्वाचन अभिकर्ता का हस्ताक्षर
मैं ऐसे मतदान अभिकर्ता (पोलिंग एजेंट) के रूप में	कार्य करने के लिए सहमत हं।
दिनांक:-	
	हुड यूनियन के मतदान अभिकर्ता
(Cale)-	(पोलिंग एजेंट) का हस्ताक्षर
	(बारावा २०१८) यम हस्सादार
पोलिंग ऑफिसर के समक्ष हस्ताक्षरित की जाने वाली मत	दान अभिकर्ता की घोषणा-
*	* * * * * * *
मैं, एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मैंने उपरिवर्णित निर्वाच	
मॉडिलिटीज़ के Section 6.4 Annexure-II (A&B) को मैंने पढ	लिया है / जो मुझे पढ़कर सुना दी गई
है, द्वारा निषिद्ध कोई कार्य नहीं करूंगा।	
स्थानः-	
दिनाकः	
ģ	ट्रेड यूनियन के मतदान अभिकर्ता
	(पोलिंग एजेंट) का हस्ताक्षर
मेरे समक्ष हस्ताक्षरित किया गया।	
	पोलिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर
	नामः-

मुहर:-

SBE - III - 2024 प्रयागराज मण्डल मतदान अभिकर्ता (पोलिंग एजेंट) की नियुक्ति को रद्द/निरस्त करना

उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मण्डल में ट्रेड यूनियन को मान्यता प्रदान करने का चुनाव
सेवा में,
पीठासीन/स. पीठासीन अधिकारी प्रयागराज मण्डल,
मैं,
(ब्थ का नाम) (ब्थ सं.) पोलिंग ब्थ के लिए श्री पदनाम अधीन को मतदान अभिकर्ता (पोलिंग एजेंट) के रूप में नियुक्त किया था जिसे मे
तत्काल प्रभाव से इनकी नियुक्ति उपरौक्त बूथ के लिए रद्द / निरस्त करता हूं।
दिनांकः